# [केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम]
# केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

[1](2017 का अधिनियम संख्यांक 12)

**केन्द्रीय सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

## अध्याय 1
## प्रारंभिक

### धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार [2][.....] संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, [3]अधिसूचना द्वारा, नियत करें:

**परंतु** इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारिखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

---

1 भारत के राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 12.04.2017 को प्राप्त हुई एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 12.04.2017 को प्रकाशित हुआ।

2 केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू–कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 26) द्वारा शब्द ''जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 08.07.2017)।

3 **देखें अधिसूचना क्रमांक 01/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 19.06.2017**–धारा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 और 164 दिनांक 22.06.2017 से प्रभावशील किये गये।

**अधिसूचना क्रमांक 09/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2017**–धारा 43(9), 44 से 50, 53 से 138, 140 से 145, 147 से 163, 165 से 174 को छोड़ कर 6 से 9, 11 से 21, 31 से 41, 42 दिनांक 01.07.2017 से प्रभावशील किये गये।

**देखें अधिसूचना क्रमांक 50/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.09.2018**–धारा 51 दिनांक 01.10.2018 से प्रभावशील किया गया।

**देखें अधिसूचना क्रमांक 51/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.09.2018**–धारा 52 दिनांक 01.10.2018 से प्रभावशील किया गया।